

फैक्स/ई-मेल सब्देश
राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा
निर्वाचन सदन, प्लाट नं 02, सैकटर 17
पंचकूला।

क्र० रा०नि०आ०/३ई- ११/२०१०/४४५६-६३

दिनांक १९.०६.२०१०

सेवा में

उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत),
पंचकूला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, रोहतक, हिसार
गुडगांव और रिवाड़ी।

विषय:- पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव २०१०-कर्मचारियों की ऐण्डमार्झजेशन करने बारे।

उपरोक्त विषय पर आयोग के पृ०क्र०:रा०नि०आ०/३ई- ११/२०१०/ २७८७-९८ दिनांक: २६.०५.२०१० के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप अपने जिले में सभी कर्मचारियों के डाटाबेस में से वास्तविक लगाए जाने वाले कर्मचारियों के प्रथम स्तर की ऐण्डमार्झजेशन में उनका ब्लाक अलाट कर दिया जाये तथा सम्पूर्ण पोलिंग पार्टी को ब्लाक स्तर पर प्रथम रिहर्सल करवाई जाये। मतदान पार्टियों को दिनांक ५-७-२०१० तथा ०९.०७.२०१० को भेजते समय पुनः ऐण्डमार्झजेशन करके उसी दिन उनका बूथ अलाट कर दिया जाये। कृप्या यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उपरोक्त तिथियों से पूर्व किसी भी पीठासीन/पोलिंग अधिकारी को इसकी ड्यूटी स्थान का पता न लगने पाये।

हस्ता/-

अधीक्षक/पंचायत
राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा